पत्र सं०– 3/एम० 45/2011 सा०–927

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 30 मार्च, 2011

विषयः– सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंच मार्क) के अनुसार विचारण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से निर्गत संकल्प सं०– सी॰आर॰को॰–118/07का–10570 दिनांक 24.10.2007 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प सं०–7566 दिनांक 14.07.2010 के तहत निर्गत रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 की कंडिका–16 के अनुसार रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वेतन उन्नयन के लिए वेतन बैंड–3 के ग्रेड वेतन 6600/–रु० तक बेंच मार्क 'अच्छा' और 7600/– रु० एवं ऊपर के ग्रेड वेतन तक के वेतन उन्नयन के लिए बेंच मार्क 'बहुत अच्छा' होना आवश्यक किया गया है। दूसरे अर्थो में, रु० 7600/– एवं ऊपर के ग्रेड वेतनों में वृत्ति उन्नयन के लिए चारित्री का 'बहुत अच्छा' होना वांछनीय होगा।

2. चूँकि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लिए वही आधार एवं प्रक्रिया होती है जो नियमित प्रोन्नति के लिए होती है, अतः यह तर्कसंगत प्रतीत होता है कि नियमित (कार्यात्मक–Functional) प्रोन्नतियों के मामलों में भी ऐसा बेंच मार्क / पैरामीटर निर्धारित किया जाय।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि:–

(1) विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा चारित्रियों/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर किसी सरकारी सेवक की प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष पर आने के लिए चारित्री/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगा–

(क) उत्कृष्ट
(ख) बहुत अच्छा
(ग) अच्छा
(घ) औसत
(ङ) प्रतिकूल अभ्युक्ति

sec3/srimohan jha primer service 11-10-2010

(2) जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों की चारित्री/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल अभ्युक्ति अभिलेखित की जाती है, उसे निश्चित रूप से संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को निर्धारित समय–सीमा में संसूचित की जानी चाहिए। संसूचित नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त प्रतिकूल अभ्युक्ति को चारित्री के औसत वर्गीकरण की कोटि में रखा जाएगा।

(3) पूर्व में कई मामलों में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के चारित्री/कार्य मूल्यांकन का अभिलेखन वर्णित वर्गीकरण के अनुसार नहीं किया गया है। ऐसे अभिलेखित चारित्री को उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार निम्न प्रकार सामंजन किया जाएगा:–

अभिलेखित चारित्री		वर्गीकरण जिसमें सामंजन किया जाएगा
(क)	उत्तम	उत्कृष्ट
(ख)	प्रोन्नति के योग्य/ संतोषजनक	अच्छा
(ग)	कर्मठ	अच्छा

शेष प्रकार के अभिलेखनों पर विभागीय प्रोन्नति समिति निर्णय लेगी।

(4) चारित्री के अभाव में उसके एवज में प्रमाण–पत्र रहने पर जितनी अवधि का प्रमाण–पत्र रहेगा उतनी पीछे की अवधि की चारित्री का अवलोकन प्रोन्नति पर विचार के लिए आवश्यक होगा।

(5) जहाँ स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन दिए जाने का प्रावधान है वहाँ स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद 30 अप्रील तक समर्पित कर दिया जाना आवश्यक होगा। 30 अप्रील तक जो पदाधिकारी स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करेंगे, प्रतिवेदक पदाधिकारी उनकी चारित्री में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किया गया हो तथा प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा उनकी चारित्री नहीं लिखी गयी हो तो चारित्री नहीं लिखने वाले पदाधिकारी के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज की जायेगी।

(6) रु० 6600/– तक के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति पर विचार के लिए पिछले 5 वर्षों में से 36 माहों की अभ्युक्ति को कम–से कम 'अच्छा' होना चाहिए तथा शेष वर्षों में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि 5 वर्षों में से मात्र 36 माहों की अभ्युक्ति उपलब्ध हो एवं शेष वर्षों की अभ्युक्ति उपलब्ध न हो तो ठीक 2 वर्ष पूर्व की अभ्युक्ति का अवलोकन किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति उक्त 2 वर्षों में नहीं हो तो प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

(7) इसी प्रकार रु० 7600/– एवं उससे ऊपर के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति हेतु उपयुक्तता के लिए पिछले 5 वर्षों में से 36 माहों की अभ्युक्ति को कम–से–कम 'बहुत अच्छा' होना आवश्यक होगा और शेष वर्षों में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि 5 वर्षों में से मात्र 36 माहों की अभ्युक्ति उपलब्ध हो और शेष वर्षों की अभ्युक्ति उपलब्ध न हो तो ठीक 2 वर्ष पूर्व की अभ्युक्ति का अवलोकन किया जाना चाहिए। यदि कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति उक्त 2 वर्षों में नहीं हो तो प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

(8) अगर पिछले 5 वर्षों या उसके ठीक पूर्व के 2 वर्ष, जैसी भी स्थिति हो, में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज किया गया हो तो ऐसे सरकारी सेवक की प्रोन्नति पर तबतक विचार नहीं किया जा सकेगा जबतक कि वे पिछले 5 वर्षों के चारित्री अभिलेखन के प्रतिकूल वर्ष के दायरे से बाहर नहीं हो जाते हैं।

4. वेतन बैंड एस–1 के मामलों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

5. चारित्री से सम्बन्धित पूर्व के सभी परिपत्र/अनुदेश उपर्युक्त हद तक अवक्रमित समझे जायेंगे।

6. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

30/3/11

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

sec3/srimohan jha primer service 11-10-2010